10.12.19

पत्रावली पेश हुई। अभयपक्ष वकील हाजिर। उभय पक्ष सुनी गई। उभय पक्ष अधिवक्ता ने मूलवाद निस्तारण तक विवादित आराजी के विक्रय, हस्तान्तरण नहीं करने व खुर्दबुर्द नहीकरने की स्वीकारोक्ति प्रस्तुत की गई। अभय पक्ष वकील के मत से सहमत हूं अतः दोनो पक्षो को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद निस्तारण तक मौके व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। आदेशिका दिनांक 23.5.2018 को मूल वाद निस्तारण तक स्थायी किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2019.12.16 12:30:12 IST
Reason: SelfAttested